शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सरहानीय कार्य दिनांक – 16.11.2024

थाना खुटार पुलिस,SWAT टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के मुकदमे का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायां के निकट पर्यवेक्षण में थाना खुटार,SWAT टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही में हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.11.2024 को आलोक कुमार मिश्रा पुत्र स्व.रामसेवक निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाह0पुर द्वारा तहरीर सूचना बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 14.11.2024 की रात्रि में वादी के पिता रामसेवक पुत्र शंभूदयाल निवासी उपरोक्त की सर कुचलकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुयी थी जिसके आधार पर दिनांक 15.11.2024 को थाना हाजा पर मु.अ.स. 572/24 धारा 103(1) बी.एन.एस.बनाम अभियुक्त अज्ञात नाम पता पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में 1. सुबोध मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा उम्र करीब 28 वर्ष 2.शत्रुघन पुत्र छोटे उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर 3.शशि पत्नी आलोक कुमार मिश्रा निवासी उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण सुबोध मिश्रा तथा शत्रुघन उपरोक्त को रौतापुर कलां मोड से दिनांक 16.11.2024 समय 02.55 बजे को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता शशि पत्नी आलोक कुमार मिश्रा उपरोक्त को दिनांक 16.11.2024 समय 10.20 बजे गिरफ्तार/हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण सुबोध मिश्रा व शत्रुघन उपरोक्त की निशादेही पर लोहे का एक पाईप का टुकडा दिनांक 16.11.2024 समय 03.40 बजे शिवकुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के गन्ना के खेत से बरामद किया गया गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण 1. सुबोध मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा उम्र करीब 28 वर्ष 2.शत्रुघन पुत्र छोटे उम्र करीब 22 वर्ष 3. शशि पत्नी आलोक कुमार मिश्रा निवासीगण ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर को मा0 न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु.अ.स. 572/24 धारा 103(1) बी.एन.एस.

बरामदगी का विवरण

आलाकत्ल लोहे का पाईप का टुकडा

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सुबोध मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा उम्र करीब 28 वर्ष

2.शत्रुघन पुत्र छोटे उम्र करीब 22 वर्ष

3. शशि पत्नी आलोक कुमार मिश्रा निवासीगण ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित घटना के संबंध गहनता से पूछताछ की गयी तो सुबोध मिश्रा उपरोक्त ने बताया कि मैं और शशि पत्नी आलोक कुमार मिश्रा आपस में बातचीत करते है तथा हमारा दोनो का आपस में मिलना जुलना है शशि मिश्रा के अपने ससुर रामसेवक पुत्र शम्भूदयाल निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर से आय दिन लडाई होती रहती थी तथा शशि मिश्रा का यह शक था कि उसका ससुर रामसेवक अपनी खेती की जमीन अपनी पुत्री अनुपम के नाम कर देगा कल दिनांक 15.11.2024 को शशि मिश्रा और मेरी फोन पर बात हुई थी कि आज हम मिलकर रामसेवक का काम खत्म कर देते है दिनांक 15.11.2024 को सुबोध मिश्रा खुटार में जागरण देखने के लिये गया हुआ था कि इस दौरान शशि मिश्रा और मेरी बात हुई कि आ जाओ सब सौ गये है इस पर मैने अपनी साथी शत्रुघन पुत्र छोटे निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर को रामसेवक का काम खत्म करने के बारे में बताया और हम दोनों ने मेरी रामपुर कलां स्थित दुकान से नल का लोहे के पाईप का लम्बाई करीब 2.5 फिट का टुकडा लिया और हम रामसेवक के घर पहुंच गये रामसेवक के घर पहुंचते ही शशि मिश्रा उपरोक्त ने अपना घर का दरवाजा खोल दिया इसके बाद हम तीनो लोग जहाँ रामसेवक सोया था हम वहाँ गये मैने व शशि मिश्रा ने रामसेवक को हाथो के चार पायी पर दबोच लिया तो शत्रुघन ने लोहे के पाईप से रामसेवक के सर पर कई वार किये जिससे रामसेवक की मृत्यु हो गयी इसके बाद मै और शत्रुघन ग्राम रौतापुर कलां के उत्तर वाले रास्ते पहुंचे और शिवकुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के खेत में हत्या मे प्रयोग किये जाने वाला लोहे के पाईप का टुकडा गन्नो के बीच छिपा कर रख दिया तथा पकडे गये दूसरे व्यक्ति शत्रुघन ने भी सुबोध मिश्रा द्वारा बताये गये कथन का समर्थन करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मृतक रामसेवक का हत्या करना स्वीकार किया है तथा शत्रुघन उपरोक्त ने भी बताया कि मैं आपके साथ चलकर हत्या मे प्रयोग किये जाने वाला लोहे के पाईप का टुकडे को बरामद करा सकता हूँ । अभियुक्तगण सुबोध मिश्रा तथा शत्रुघन उपरोक्त की निशादेही पर आलाकत्ल लोहे के पाईप का टुकडा दिनांक 16.11.2024 को समय 03.40 बजे शिवकुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम रौतापुर कलां थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर के खेत गन्ना से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

SWAT टीम

1 नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार

2 हे0का0 दिलीप

3 हे0का0 उदयवीर

4 हे0का0 विपिन

5 हे0का0 सुशील शर्मा

6 हे0का0 रामसजीवन

7 हे0का0 चा0 कपिल ठाकुर

सर्विलांस सेल

1 का0 शिवम

2 का0 प्रभात

थाना खुटार पुलिस टीम

उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना खुटार जिला शाह0पुर

हे0का0 109 इन्द्रेश कुमार थाना खुटार जिला शाह0पुर

का0 2487 पवनेश कुमार थाना खुटार जिला शाह0पुर

का0 94 हरिओम सिंह थाना खुटार जिला शाह0पुर

का0 2146 फिरोज हसन थाना खुटार जिला शाह0पुर

म0का0 2920 आरती थाना खुटार जिला शाह0पुर